न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 30 / 2025	दायर दिनांक 07.01.2025	निर्णय दिनांक 06.02.2025

1. श्री सोहन लाल पिता कालु जाति मेहतर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री मिठूलाल पिता कालूराम मेहतर निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री रामचन्द्र पिता कालूराम जाति मेहतर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. उदयराम पुत्र रूघनाथ जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. किशनलाल पुत्र लालाराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. देवाराम पुत्र लालाराम जाति गाड़री आयु वयस्क निवासी नौगांवा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।
6. भैरूलाल पुत्र लालाराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रृवण कुमार सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 06 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोपालगढ पटवार हल्का भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला–भीलवाड़ा की सरहद मे हम प्रार्थी की कृषि आराजियात आराजी नम्बर 605 / 2 रकबा 0.2908 हेक्टेयर आराजी नम्बर 606 / 1 रकबा 0.0759 हेक्टेयर आराजी नम्बर 606 / 3 0.1391 हेक्टेयर कुल क़िता 3 रकबा 0.5058 हेक्टेयर है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

गैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 6 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम भोपालगढ पटवार हल्का भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला–भीलवाड़ा की सरहद मे हम प्रार्थी की कृषि आराजियात आराजी नम्बर 605/2 रकबा 0.2908 हेक्टेयर आराजी नम्बर 606/1 रकबा 0.0759 हेक्टेयर आराजी नम्बर 606/3 0.1391 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.5058 हेक्टेयर है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06-03-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

(दि... सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा